

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छगस्ववितवि/सूचना/2015/2143

भिलाई, दिनांक: 17/8/2015

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (टी-3)


निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित अध्ययनरत संस्था से स्थानांतरण संस्था में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के शर्तों को पूर्ण करने तथा दोनों संस्थाओं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्रों टी-1 एवं टी-2 के आधार पर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

संबंधित छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक: 25/08/2015 तक स्थानांतरण संस्था में प्रवेश प्राप्त कर लें।

स्थानांतरण संस्था कृपया छात्र/छात्राओं के प्रवेश की जानकारी से विश्वविद्यालय को अवगत करावें एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।

सूची-2

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम एवं ब्रांच	अध्ययनरत संस्था का नाम	स्थानांतरण संस्था का नाम
1.	Sankar Chandravanshi (3 rd Sem. Civil)	I.B.T. College of Diploma Eng., Durg	Bharti College of Polytechnic, Durg (Branch-Civil)



कुलसचिव
छस्वावितवि, भिलाई

पृष्ठांकन क्र. : छगस्ववितवि/सूचना/2015/

भिलाई, दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

- 1) संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़।
- 2) समस्त संबंधित कालेज के प्राचार्य को इस निर्देश के साथ कि विद्यार्थियों के प्रवेश उपरांत जानकारी विश्वविद्यालय को सूचित करें, समस्त स्थानांतरण संस्था में रिक्त स्थान कि उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत किये जायें।
- 3) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (सूचना विभाग) छस्ववितवि, भिलाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) निज सहायक, माननीय कुलपति महोदय, छस्ववितवि, भिलाई।
- 5) संबंधित छात्र/छात्राओं को सूचनार्थ।
- 6) मास्टर फाईल।


कुलसचिव
छस्वावितवि, भिलाई